उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–51/2022–23

अनिरूद्ध दास वगैरह

बनाम्

राज नारायण झा वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक । 11/2-3

अपीलकर्त्ता एवं उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता अनिरूद्ध दास, पे0–स्व0 अकलू रविदास उर्फ ठाकुर रविदास वो धरमा रविदास उर्फ धरमा देव दास, पे0–स्व0 दुखन रविदास वो सहदेव रविदास, पे0–स्व0 बेफन रविदास, सभी साकिनान–कौड़ी बहियार, थाना–गोड्डा नगर, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के ज्ञापांक–571/सा0, दिनांक–25.07.2022 से निर्गत आदेश दिनांक–25.07.2023 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तरवादी प्रथम पक्ष ने उपायुक्त, गोड्डा के समक्ष अभ्यावेदन दायर किया था, जो पत्रांक–578/ज0शि0 दिनांक–13.06.2022 के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को भेजा गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने ज्ञापांक –392/सा0न्या0 दिनांक–15.06.2022 के द्वारा दोनों पक्ष को नोटिश जारी किया गया। दोनों पक्ष उपस्थित होकर अपना–अपना लिखित बहस दाखिल किया। इसके उपरांत अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा दिनांक– 25.07.2022 को आदेश पारित किया गया कि पूर्व में रा0वि0 वाद सं0–35/2010–11 (राज नारायण झा बनाम् बिभीषण यादव वगै0) में दिनांक–05.11.2011 को आदेश पारित किया जा चुका है। पुनः आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन अपीलकर्त्ता उक्त रा0वि0 वाद सं0–35/10–11 में पक्षकार नहीं थे। इसलिए उक्त आदेश अपीलकर्त्ता के विरूद्ध लागू नहीं होता है। उनका आगे कथन है कि भू–हदबंदी अधिनियम के तहत मौजा–कोड़ी बहियार नं0–509, जमाबंदी सं0–60 एवं 104 की अधिशेष जमीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के द्वारा एल0सी0 केश नं0–24/73–74 के माध्यम से अधिग्रहित किया गया एवं संबंधित ग्रामीणों एवं अपीलकर्त्ताओं को बंदोवस्ती पर्चा वितरित किया गया। बंदोवस्ती पर्चा वितरण

के लगभग 10 वर्षों के बाद उत्तरवादी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, बिहार पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–1753/1984 दायर किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय, बिहार पटना ने उक्त रिट याचिका में दिनांक–03.04.1984 को आदेश पारित किया गया कि विचाराधीन जमीन यदि पहले से वितरित नहीं किया गया है, तो इस याचिका के लंबित रहने के दौरान वितरित नहीं की जाएगी। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पूर्व कानूनी रूप से अपीलकर्त्तागण को उक्त जमीन वितरित किया जा चुका था एवं रा0वि0 वाद सं0–91/2009 (अनिरूद्ध रविदास वगैरह बनाम् रैयान मौजा–कोड़ी बहियार) के आदेश द्वारा 18 लाभान्वितों को कोर्ट अमीन के द्वारा जमीन का सीमांकन किया गया है एवं अपीलकर्त्ता शांतिपूर्ण ढंग से उक्त जमीन का जोत आबाद कर रहे है तथा मालगुजारी का भुगतान कर लगान रसीद भी प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–कौड़ी बहियार नं0–509, जमाबंदी सं0–60 एवं 104 उत्तरवादी के पूर्वजों मोतीलाल झा, तेजनारायण झा, त्रिवेणी झा व चुनचुन झा पेशरान संतोखी झा के नाम से गेंजर पर्चा में दर्ज है। यह मामला भू हदबन्दी वाद सं0–24/73–74 से संबंधित है, जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने पारित आदेश दिनांक–23.07.1974 में स्पष्ट आदेश दिये है कि इससे अधिशेष भूमि अर्जित नहीं की जा सकती है। फलतः यह मामला समाप्त किया गया है। पुनः वर्ष 1981 में उपायुक्त, दुमका के आदेश पर इस वाद को पुनर्जिवित किया गया तथा केवल मोतीलाल झा के पुत्रों को नोटिश भेजा गया तथा शेष तीन भाई के वंशजों को नोटिश नहीं दिया गया तथा गलत ढंग से आदेश पारित कर उत्तरवादी के 63.59 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर 30 मार्च 1984 को पर्चा वितरण कर दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में 02.04.1984 को रिट याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–1753/84 दायर किया, जिस पर दिनांक–03.04.1984 को माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया। इसके बाद पर्चाधारियों को दखल नहीं दिलायी जा सकी। उनका आगे कथन है कि वर्ष 1989 में मौजा–कौड़ीबहियार के पर्चाधारियों द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी,

गोड्डा को दखल दिलाने के लिए आवेदन दिया गया, जिस पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने रा0वि0 वाद सं0–33/89–90 में दिनांक–12.09.1989 को एक आदेश पारित कर माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश तक उनके आवेदन को स्थगित कर दिया। पुनः उनलोगों ने वर्ष 1995 में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को दखल के लिए आवेदन दिया, जिसपर उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद रा0वि0 वाद सं0–118/95–96 को संचिकास्त कर दिया गया। वर्ष 1996 में उनलोगों ने उत्तरवादी के जोत–आबाद में बाधा उत्पन्न किया, जिसमें अंचल अधिकारी एवं नगर थाना, गोड्डा द्वारा संयुक्त प्रतिवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को भेजा गया। इस पर उत्तरवादी के जमीन को धारा–145–146 के तहत जब्त कर अंचल अधिकारी, गोड्डा को रिसिवर नियुक्त किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद टी0आर0 नं0–1/1996 दिनांक–14.01.1997 को समाप्त कर दिया गया। 08 अक्टुबर 1996 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–1753/84 में अंतिम आदेश पारित किया गया, जिसमें अधिग्रहण एवं उससे संबंधित सभी आदेश निरस्त कर दिये गये। इस आदेश के पारा 07 में दिया गया है कि – "In the result, the writ petition succeeds and is allowed. The order dated 18-02-1981 D.C Dumka (reopening of the proceedings Bhagalpur Commissioner) of the respondent under section 45B of the Act And all consequential orders and notifications are quashed." इस आदेश के विरूद्ध मौजा–कौड़ीबहियार के पर्चाधारियों ने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक रिट याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–12637/96 दायर किया, जिसे माननीय न्यायालय ने दिनांक–31.03.1997 को खारिज कर दिया। उस आदेश में स्पष्ट है कि – "Since it is now held that the lands have not been validly declared surplus, there is no question of title being vested in the state which could be transferred to anyone else." फिर उनलोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में एल0पी0ए0 नं0–557/1997 दायर किया, जिसे माननीय न्यायालय के आदेश पर दिनांक–25.10.1997 को वापस ले लिया। उनका आगे कथन है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आदेश पर अंचल अधिकारी, गोड्डा ने सभी पर्चाधारियों को वितरित पर्चा को जमा करने का नोटिश दिया, न तो किसी ने नोटिस लिया और न तो पर्चा ही जमा किया। तब अंचल अधिकारी, गोड्डा ने आम सूचना के द्वारा इनका पर्चा को रद्द कर दिया तथा डिनोटिफिकेशन का प्रस्ताव जिला राजस्व शाखा, गोड्डा को भेजा। जिला

राजस्व शाखा, गोड्डा द्वारा वर्ष 1997 में डिनोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इन पर्चाधारियों के द्वारा कई बार जमीन जबरन दखल कराने का प्रयास भी किया गया। जिसपर धारा–144 लगातार उभय पक्षों को रोका गया। उसमें भी उत्तरवादी के पक्ष में आदेश पारित किया गया। क्रि0 मिस केश नं0–417/1997 में पारित आदेश के विरूद्ध उनलोगों ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के न्यायालय में अपील दायर किया, जिसे द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के न्यायालय ने Cr. Rev. No. 73/97 दिनांक–18.05.1998 को खारिज कर दिया। उत्तरवादी के द्वारा गोड्डा जिला प्रशासन को बराबर आवेदन देते थे, परन्तु उत्तरवादी के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तब उत्तरवादी ने पुनः माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक रिट याचिका सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–10523/98 दायर किया, जिस पर माननीय न्यायालय ने दिनांक–16.12.1998 को उपायुक्त, गोड्डा को कुछ निर्देश दिये। इस आदेश के बाद उपायुक्त, गोड्डा द्वारा विधि शाखा से दिनांक–23.05.1999 को एक स्पष्ट आदेश पारित किया गया। विधि शाखा के द्वारा पारित आदेश के बाद अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने Possession के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, गोड्डा को दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त किया तथा पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भेजकर उत्तरवादी को दखल दिलाया गया। उत्तरवादी ने लगभग 10 बीघा जमीन में धान का फसल लगाया था, जिसे पकने पर इन लोगों ने लूट लिया था। इस बीच श्री अंगद मेहरा को मौजा–कौड़ीबहियार का हल्का कर्मचारी बनाया गया। उन्होंने वर्ष 2008 में सभी रद्द पर्चाधारियों को गलत ढंग से लगाना रसीद निर्गत किया तथा कुछ जाली पर्चा भी बाँटा। हल्का कर्मचारी द्वारा एक ऐसे व्यक्ति को पर्चा दिया गया, जिनकी जन्म तिथि 02–02–1980 है। उसे भी 30 मार्च 1984 के तिथि से जाली पर्चा दिया गया। सुरेन्द्र दास के पर्चा एवं मालगुजारी रसीद को सत्यापन के लिए पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के आदेश पर नगर थाना, गोड्डा ने अपने डी0आर0 नं0–280/2012 अंचल कार्यालय, गोड्डा को भेजा। जिस पर अंचल अधिकारी, गोड्डा ने जाँचोपरांत पर्चा को गलत पाया। उन्होंने अपने पत्रांक–268/रा0 दिनांक–17.03.2012 में हल्का कर्मचारी पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए लिखकर भेजा, परन्तु उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका आगे कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने माननीय न्यायालय के आदेशों को अनदेखी करते हुए रा0वि0 वाद सं0–60 एवं 91/2009–10 में गलत आदेश पारित किया। उत्तरवादी ने

अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को इस विवाद के स्थाई समाधान के लिए एक आवेदन दिया, जिस पर उन्होंने रा0वि0 वाद सं0–35/2010–11 में एक आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध उनलोगों ने उपायुक्ता, गोड्डा के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0–39/2011–12 दायर किया, जिसमें दिनांक–10.10.2017 को टाईटल सूट रिविजन अपील लंबित रहने के कारण वापस लेने की अनुमति प्रदान की गई। इसमें से 5 पर्चाधारियों ने सबजज प्रथम, गोड्डा के न्यायालय में सी0एस0 नं0–27/2000 दायर किया। जिसे सबजज प्रथम, गोड्डा ने 30 जुलाई 2016 को खारिज कर दिया। फिर उनलोगों ने जिला जज, गोड्डा के न्यायालय में सिविल अपील नं0–06/2016 दायर किया। जिसे जिला जज प्रथम, गोड्डा ने दिनांक–16.12.2019 को खारिज कर दिया। उत्तरवादी ने ऑनलाईन रसीद 2002 से 2019–20 तक दिनांक–18.11.2019 को कटाया तथा 2020 से 2023 तक दिनांक–24.11.2022 को कटाया। इस प्रकार पर्चाधारियों का दावा स्वीकार योग्य नहीं है। उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के सामान्य न्यायालय के पारित आदेश को सही मानते हुए प्रशासनिक सहयोग प्रदान करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–कौड़ीबहियार माल, जमाबंदी सं0–60 एवं मौजा–कौड़ीबहियार घाट, जमाबंदी सं0–104 की जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मोतीलाल झा वो तेजनारायण झा वो तिरवेनी झा वो चुनचुन झा, पेसरान संतोखी झा के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्तागण के द्वारा उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत की जमीन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के एल0सी0 केश नं0–24/73–74 के माध्यम से वितरित बंदोवस्ती पर्चा के आधार पर दावा किया जा रहा है। लेकिन उत्तरवादी की ओर से दाखिल कागजातों से यह स्पष्ट होता है कि माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–1753/84 के आदेश दिनांक–08.10.96 के द्वारा अधिग्रहण की कार्रवाई को quash किया गया है। उक्त आदेश के विरूद्ध पर्चाधारी रामकृष्ण रविदास एवं अन्य की ओर से माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–12637/96 दायर किया गया था, जो माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना के द्वारा खारिज किया गया है। इसके बाद कोमपोटर यादव एवं अन्य की ओर से सबजज प्रथम, गोड्डा के न्यायालय में टी0एस0 नं0–27/2000 दायर किया गया था। उक्त वाद को भी आदेश

दिनांक–30.07.2016 के द्वारा खारिज किया गया है। इसके बाद कोमपोटर यादव एवं अन्य की ओर से जिला जज प्रथम, गोड्डा के न्यायालय में सिविल अपील नं0–06/2016 दायर किया गया था। उक्त सिविल अपील वाद को भी आदेश दिनांक–16.12.2019 के द्वारा खारिज किया गया है। चूँकि अपीलकर्त्तागण के द्वारा अधिशेष भूमि का अधिग्रहण कर वितरित पर्चा के आधार पर दावा किया गया है। उक्त भूमिबंदी के तहत अधिग्रहित आदेश को माननीय उच्च न्यायालय, बिहार, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–1753/84 के आदेश दिनांक–09.10.96 के द्वारा quash कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय के पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के ज्ञापांक–571/सा0 दिनांक–25.07.2022 से निर्गत आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

समाहरणालय, गोड्डा
जिला विधि शाखा, गोड्डा

ज्ञा० सं० :- 196 दि:- 20.11.23

प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी
जिला विधि शाखा
गोड्डा

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2023.12.09 10:29:38 +05:30
Location: 192.168.1.37